

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-130 / 2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

नरेन्द्र भेंगरा

- विक्रेता

शान्ति कण्डीर

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
08.11.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक नरेन्द्र भेंगरा पिता स्व० बेनेदिक भेंगरा ग्राम-खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने शान्ति कण्डीर पति मतियस कण्डीर ग्राम-गिरजा टोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="239 739 1380 862"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>खूँटी</td> <td>83</td> <td>03</td> <td>1395</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0331924949 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1000 दिनांक 19.10.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०- 330/332 दिनांक 06.01.1947 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम लगान पाने वाले बड़ाईक हरगोविन्द सिंह हैं। पंजी II के अनुसार नरेन्द्र भेंगरा के नाम भूमि का रकबा 0.65 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.65 एकड़ भूमि के आलावा अंचल तोरपा में मौजा पतराटोली खाता सं० 16 में रकबा 2.10 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.75 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 65885.00(पैसठ हजार आठ सौ पच्चासी)रु० भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.65 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण नरेन्द्र भेंगरा पिता स्व० बेनेदिक भेंगरा को शान्ति कण्डीर पति मतियस कण्डीर के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 1395 कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 65885.00(पैसठ हजार आठ सौ पच्चासी)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	खूँटी	83	03	1395	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
खूँटी	83	03	1395	0.10								